संख्या- 169 /2016- 1818 /नौ-5-16-26बजट/2005

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 15 जून, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रामपुर नगर की रामपुर सीवरेज योजना जोन-1, भाग-1 के अवशेष कार्य के निर्माण हेतु पंचम/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 123/नागर-2/033-304/16, दिनांक 07.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रामपुर नगर की रामपुर सीवरेज योजना जोन-1, भाग-1 के अवशेष कार्य हेतु पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रू0 4908.86 लाख के सापेक्ष रू0 1315.17 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-2973/नौ-5-2013-26बजट/2005, दिनांक 21.06.2013 द्वारा अवमुक्त की गयी है तथा शासनादेश संख्या- 1237/नौ-5-2015-26बजट/2005, दिनांक 21.11.2005 द्वारा पूर्व में रू0 2264.11 लाख, शासनादेश संख्या-5666/नौ-5-2014-26बजट/2005, दिनांक 21.10.2014 रू0 800.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-2001/नौ-5-2015-26बजट/2005, दिनांक 31.03.2015 द्वारा रू0 284.00 लाख अर्थात कुल रू0 4663.28 लाख अवमुक्त की गयी है, का व्यय होने के आलोक में पंचम/अंतिम किश्त के रूप में रू0 245.58 लाख (रू0 दो करोड पैंतालिस लाख अटठावन हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) सन्दर्भित कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2973/नौ-5-2013-26बजट/2005, दिनांक 21.06.2013 द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) कार्य पूर्ण् होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(6) कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(7) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2/-

go finance mangal font

(8) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/ नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

संख्या- 169/2016-1818/नौ-5-16-26बजट/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषण:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/रामपुर ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता (मुरा0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद ।
7- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, रामपुर।
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
9- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-15/06/2016

प्रेषण संख्या:- 169

आवंटन आदेश संख्या:- 001-169-2016-1818-9-5-16-26B-2005

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	24558000 24558000	24558000 24558000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24558000 24558000	24558000 24558000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठावन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठावन हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी